FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0027 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 07/10/2022 11:29 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 03/11/1987 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2013

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/10/2022 **Time (समय):** 10:48 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 07/10/2022 10:48 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 80 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गांव बिरथे बाहरी,कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** BIMLA DEVI

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/02/1968 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**BARARKHERA, NARWANA SADAR, JIND, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**BARARKHERA, NARWANA SADAR, JIND, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9467116955

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	महेन्द्र सिहं		Father's Name: राज किशन	1. गांव बिरथे बाहरी,जिला कैथलKAITHAL,HARYANA,INDIA
2	अशोक कुमार		Father's Name: महेन्द्र	1. गांव बिरथे बाहरी,जिला कैथलKAITHAL,HARYANA,INDIA 2. गांव बिरथे बाहरी,जिला कैथलKAITHAL,HARYANA,INDIA
3	काला देवी		Husband's Name: सतीश कुमार	1. गांव बिरथे बाहरी,जिला कैथलKAITHAL,HARYANA,INDIA 2. गांव बिरथे बाहरी,जिला कैथलKAITHAL,HARYANA,INDIA
4	रामा नन्द		Father's Name: सौदागर	1. गांव बिरथे बाहरी,जिला कैथलKAITHAL,HARYANA,INDIA
5	सतनाम सिहं खाम्बरा			1. 469,सैक्टर-15,पंचकुला,जिला पंचकुला PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

थाना प्रबन्धक,
राज्य चौकसी ब्यूरो,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक 03 दिनांक 14.06.2021 कैथल, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 62/14/2021-4-चौ-1 दिनांक 10.06.2021 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन 8977/आई-1/रा.चौ.ब्यु.(ह.) दिनांक 14.06.2021 अनुसार पंजीकृत होकर उप महानिरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के कार्यालय के डायरी क्रमांक 644 दिनांक 16.06.2021 अनुसार पडताल हेतू प्राप्त हुई थी ।

जिसमें आरोप था कि वर्ष 1961 में हरियाणा सरकार ने गांव बिरथे-बाहरी, जिला कैथल में पाकिस्तान से आए वशिंदों/शरणार्थी की विमुक्त जाति (भेडकूट, सांसी, बाबरिया तथा ब्राहमण) के लोगों को विस्थापित करने के लिये हरियाणा सरकार की 649 एकड़, 4 कनाल, 17 मरले कृषि भूमि, जिसमें से कुछ परिवारों को 10 एकड़ भूमि तथा कुछ परिवारों को 5-5 एकड़ कृषि भूमि को 1/3 बटाई/हिस्सा पर देकर काश्त करवाने के लिये दी थी । उपरोक्त लोगों द्वारा 1/3 बटाई हिस्सा न देने पर हरियाणा सरकार ने दिनांक 03.11.1987 को उपरोक्त भूमि को पात्र व्यक्तियों/वारिसों को आबंटित करने के लिये आदेश जारी किये गये थे। तत्कालीन, जिला समाज कल्याण अधिकारी कैथल, तहसीलदार राजौन्द, हल्का पटवारी व कानून-गो तथा अलाटमैन्ट कमेटी सदस्य श्री करतार सिंह, श्री दलजीत सिंह नम्बरदार, श्री महेन्द्र सिंह वासी गांव बिरथे-बाहरी जिला कैथल इत्यादि ने मिली भगत करके उपरोक्त भूमि को आबंटित, निशानदेही व चकबन्दी करते समय बंदर- बांट करके, पात्र व्यक्तियों का शोषण करके, गलत/अपात्र व्यक्तियों को शपथ पत्र के आधार पर अलाट करके अनियमिततायें बरती गई है।

जांच से पाया गया कि आयुक्त एवं सचिव, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 4558-एस.डब्ल्यू(1)-87(डी.बी.सी.) दिनांक 03.11.1987 व वितायुक्त एवं सचिव, राजस्व विभाग, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 485-आर-1-88/2343 दिनांक 30.03.1988 के अनुसार गांव बिरथे-बाहरी, जिला जीन्द हाल कैथल के उपरोक्त टपरीवास/विमुक्त समुदाये व अनुसूचित जाति द्वारा, जो भूमि बटाई पर लेकर खेती कर रहे हों, को अलाट करने के निर्देश जारी होने पाये गये । जांच के दौरान श्रीमति जयवन्ती श्योकन्द, भा0प्र0से0, तत्कालीन उपायुक्त, कैथल द्वारा दिनांक 14.01.1999 को जिला कल्याण अधिकारी, कैथल को उपरोक्त भूमि के पट्टेदार/उनके वारिसों को अलाटमैन्ट प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये व बिक्री-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये आथोराईज किया जाना पाया गया ।

जांच के दौरान पाया गया है कि उपरोक्त आदेशानुसार सर्वश्री दयानन्द आर्य, जगदीश चन्द, दलीप सिंह, चांदी राम व सतनाम सिंह खाम्बरा सभी तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, कैथल द्वारा वर्ष 1961 से वर्ष 1987 तक की जमाबन्दी, बटाई रजिस्टर, वसूली रजिस्टर तथा कुर्रा रजिस्टर के आधार पर वर्ष 1999 से वर्ष 2013 तक गांव बिरथे-बाहरी, जिला कैथल में हरियाणा सरकार की 649 एकड़, 04 कनाल, 17 मरले भूमि में से उपरोक्त महेन्द्र सिह पुत्र राजकिशन पुत्र खडग सिंह वासी गांव बिरथे-बाहरी अलाटमैन्ट कमेटी के सदस्य होते हुये भी पट्टेदार श्री चुडिया राम पुत्र साधु पुत्र मोलड़ के वारिस राजकौर व ईश्वर सिंह इत्यादि के, पट्टेदार राजपाल पुत्र सरणदास के वारिस चांद राम व देसराज के शपथ-पत्र के आधार पर उनके हिस्से की जमीन में से 88 16 कनाल भूमि श्री जगदीश चन्द, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी से मिलीभगत करके अपने नाम (महेन्द्र सिह पुत्र राजकिशन पुत्र खडग सिंह), पट्टेदार राम प्रकाश पुत्र जग्गु राम के वारिस राम किशन, मदन लाल, गुलशन व इत्यादि के, पट्टेदार अर्जुन पुत्र रोडा के वारिस कृष्ण कुमार पुत्र गुरबचन के, पट्टेदार इन्द्रदास पुत्र तीर्थदास के वारिस बोधराज व नन्द लाल के शपथ-पत्रो के आधार पर श्री जगदीश चन्द तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी से मिलीभगत करके 12103 25 कनाल भूमि अशोक कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह द्वारा खुद के नाम करवाई जानी पाई गई है।

इसी प्रकार पट्टेदार चानन सिंह पुत्र लहना सिंह के वारिस जगीर सिंह, मनजीत सिंह, जीत कौर इत्यादि के, पट्टेदार अर्जुन पुत्र रोडा के वारिस कृष्ण कुमार पुत्र राम लाल के वारिस गुरदयाल सिंह की पत्नी महेन्द्र कौर के, पट्टेदार प्रेमदास पुत्र रिसाला जो अविवाहित था, के वारिस भाई गुलाब चन्द पुत्र रिसाला के पुत्र रतन चन्द व प्रीतम दास से, पट्टेदार हरनाम सिंह पुत्र अलीया के वारिस सुखदेव सिंह, गुरदयाल सिंह, शकुन्तला देवी, बेबी व अन्य के तथा पट्टेदार कर्म सिंह व जोधा सिंह पुत्र निहाल सिंह के वारिस जरनैल सिंह, काला सिंह, सिमरन कौर, निरंजन कौर व अन्य के शपथ-पत्रो के आधार पर श्री जगदीश चन्द व श्री दयानन्द आर्य, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी से मिलीभगत करके 8108178 51 कनाल भूमि जगवन्त कौर पत्नी महेन्द्र सिंह द्वारा अपने नाम करवाई जानी पाई गई।

इसी प्रकार कान्ता देवी पत्नी सतीश कुमार पुत्र तारा चन्द वासी गांव बिरथे-बाहरी द्वारा पट्टेदार अर्जुन पुत्र रोडा के वारिस बीबो के पुत्र घूक्कड व पट्टेदार बलदेव दत्त के पोता सुशील कुमार के शपथ-पत्रो के आधार पर श्री जगदीश चन्द, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी से मिलीभगत करके 4 कनाल 19 मरले 8 कनाल 12 कनाल 19 मरले भूमि, सुरजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह वासी बिरथे-बाहरी द्वारा पट्टेदार खेता पुत्र सुध सिंह के वारिस करतार, चन्दर पाल व अन्य के तथा पट्टेदार गुरवचन सिंह पुत्र प्रताप सिंह के वारिस हरजीत सिंह के शपथ-पत्रो के आधार पर श्री चांदी राम, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी से मिलीभगत करके 1632 48 कनाल भूमि अपने नाम करवाई जानी पाई गई है।

इसी प्रकार रामानन्द पुत्र सौदागर वासी बिरथे-बाहरी द्वारा पट्टेदार खेता पुत्र सुध सिंह के वारिस करतार, चन्दर पाल व अन्य के शपथ-पत्र के आधार पर श्री चांदी राम, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी से मिलीभगत करके 18 कनाल 8 मरले भूमि, बलवन्त कौर पत्नी दलजीत सिंह नम्बरदार पुत्र राम सिंह द्वारा पट्टेदार सन्ता सिंह पुत्र मंगल सिंह वासी बिरथे-बाहरी के वारिस हरनाम सिंह के पुत्र महेन्द्र सिंह के शपथ-पत्रो के आधार पर 4 कनाल 19 मरले भूमि व 16 कनाल भूमि कुल 20 कनाल 19 मरले श्री जगदीश चन्द, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी से मिलीभगत करके अपने नाम करवाई जानी पाई गई है।

इसी प्रकार रोशन लाल पुत्र मंगल सिंह द्वारा पट्टेदार नारायणा पुत्र छज्जू राम वासी बिरथे-बाहरी के पट्टे में से 22 कनाल 18 मरले भूमि श्री सतनाम खाम्बरा, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी से मिलीभगत, प्रीतम दास व रतन चन्द पुत्रान गुलाब चन्द पुत्र रिसाला द्वारा पट्टेदार प्रेम चन्द पुत्र रिसाला के वारिस के रूप में 12 कनाल – 6 मरले भूमि श्री दयानन्द आर्य, जिला कल्याण अधिकारी कैथल से मिलीभगत करके अपने नाम करवाई जानी पाई गई है। उपरोक्त सभी के नाम तहसील कार्यालय राजौन्द, जिला कैथल के रिकार्ड अनुसार इन्तकाल न0 993, 1290, 1108, 870-987, 740-754, 914, 1008, 991, 1021, 987 व 992 दर्ज होना पाया गया है।

आयुक्त एवं सचिव अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 4558-एस.डब्ल्यू(1)-87(डी.बी.सी.) दिनांक 03.11.1987 व वितायुक्त एवं सचिव राजस्व विभाग हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 485-आर-1-88/2343 दिनांक 30.03.1988 में पट्टेदार या उसके वारसान के अतिरिक्त अन्य किसी के नाम शपथ-पत्र के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान न होते हुये भी उपरोक्त महेन्द्र सिंह पुत्र राजकिशन, अशोक कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह व जगवन्त कौर पत्नी महेन्द्र सिंह द्वारा कान्ता देवी पत्नी सतीश कुमार पुत्र खडग सिंह, सुरजीत पुत्र प्रताप सिह, रामानन्द पुत्र सौदागर, बलवन्त कौर पत्नी दलजीत सिंह, रोशन पुत्र मंगल पुत्र छज्जू व प्रीतम दास व

रतन चन्द वासियान गांव बिरथे-बाहरी जिला कैथल द्वारा न तो पट्टेदार और न ही पटटेदारो के वारिस होते हुये, अलाटमैन्ट कमेटी सदस्य करतार सिंह व दलजीत सिंह नम्बरदार व महेन्द्र सिंह गांव बिरथे-बाहरी द्वारा तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी श्री जगदीश चन्द, दयानन्द आर्य (सेवानिवृत/मृतक) व सतनाम खाम्बरा से आपस में मिलीभगत करके पट्टेदार व उनके वारसानो के शपथ पत्र गलत तरीके से लेकर सही पात्र/उनके वारसानो को नुकसान पहुंचा कर हरियाणा सरकार की 649 एकड 04 कनाल 17 मरले भूमि में से 228 कनाल भूमि अर्थात लगभग 28.5 एकड भूमि अपनें नाम व अपने परिवार के सदस्यो के नाम अलाट करवाने के सम्बन्ध में धाराधीन 420, 467, 468, 471, 120-बी, भा.द.स. तथा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम-1988 का अपराध किया जाना पाया गया है । जांच के दौरान रोशन लाल पुत्र मंगल सिंह वासी गांव बिरथे-बाहरी जिला कैथल, सुरजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह वासी गांव बिरथे-बाहरी जिला कैथल, जगवन्त कौर पत्नी महेन्द्र सिंह वासी गांव बिरथे-बाहरी जिला कैथल, दलजीत सिंह नम्बरदार वासी गांव बिरथे-बाहरी जिला कैथल, करतार सिंह नम्बरदार वासी गांव बिरथे-बाहरी जिला कैथल, चांदी राम तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कैथल, जगदीश चन्द तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कैथल, दयानन्द तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कैथल, बलवन्त कौर पत्नी दलजीत सिंह वासी गांव बिरथे-बाहरी, जिला कैथल की मृत्यु होनी पाई गई है।

अतः इस सम्बन्ध में महेन्द्र सिहं पुत्र श्री राज किशन, अशोक कुमार पुत्र श्री महेन्द्र, कान्ता देवी पत्नी सतीश कुमार पुत्र श्री तारा चन्द, रामानन्द पुत्र सौदागर वासीयान गांव बिरथे-बाहरी, जिला कैथल, श्री सतनाम सिंह खाम्बरा, संयुक्त निदेशक एंव तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, कैथल (हाल सेवानिवृत) वासी म.न. 469 सैक्टर-15 पंचकुला के विरूध धाराधीन 420,467,468,471, 120-बी, भा.द.स. तथा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम-1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था।

इस बारे अंतिम रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा,पंचकुला की टिप्पणी सहित उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3141/रा.चौ.ब्यू (ह0) दिनांक 28.02.2022 के अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा उनके कार्यालय के पृ0 क्रमांक 62/14/2021-4चौ0(1) दिनांक 24.08.2022 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांक 15005/आई-1/रा.चौ.ब्यू.(ह0) दिनांक 15.09.2022 के अनुसार उपरोक्त सभी के विरूद्व उपरोक्त धाराओ के अंन्तर्गत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये है।

अतः इस सम्बन्ध में महेन्द्र सिहं पुत्र श्री राज किशन, अशोक कुमार पुत्र श्री महेन्द्र, कान्ता देवी पत्नी सतीश कुमार पुत्र श्री तारा चन्द, रामानन्द पुत्र सौदागर सभी वासीगण गांव बिरथे-बाहरी, तहसील राजौन्द, जिला कैथल तथा श्री सतनाम सिंह खाम्बरा संयुक्त निदेशक एंव तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कैथल (सेवानिवृत) वासी म.न. 469 सैक्टर-15 पंचकुला के विरूध धाराधीन 420, 467, 468, 471, 120-बी, भा.द.स. तथा 13(1)(डी) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम-1988 (अपराध के समय प्रचलित कानून) के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख प्रस्तुत है। अभियोग के अनुसंधान के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य की सलिप्ता पाई जाती है उसे भी देख लिये जाने का सुझाव दिया जाता है। अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक-एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव एंव वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एंव आपदा प्रबन्धन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार गृह विभाग व अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति एंव पिछडा वर्ग कल्याण विभाग को व असल लेख रिकार्ड सहित निजद अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक सुरेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, कैथल भेजी जाये।

हस्ताक्षर हिन्दी
(सुबे सिंह)
उप निरीक्षक
राज्य चौकसी ब्यूरो,
अम्बाला।
दिनांक 06.10.2022

अज थानाः- लिखित लेख उपरोक्त बाजुर्म उपरोक्त महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 15860/आई-1/रा.चौ.ब्यु. (ह) पंचकुला दिनांक 04.10.2022 व कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 1195 दिनांक 04.10.2022 अनुसार थाना में प्राप्त होने पर अभियोगांक 27 दिनांक 07.10.2022 धाराधीन

धाराधीन 420, 467, 468, 471, 120-बी, भा.द.स. तथा 13(1)(डी) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम-1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला अंकित करके अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट सिपाही कृष्ण कुमार न. 226/कुरूक्षेत्र के निजद ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब कुरूक्षेत्र व उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार नकल मिसल पुलिस, असल लेख मय रिकार्ड निजद अनुसंधानकर्ता निरीक्षक सुरेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, कैथल भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Suresh Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 50 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.